फॉर्म – ए

(नियम 2 के खंड (डी) और नियम (1) के उप नियम 1 को देखें)

क्रम संख्या .....

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में,
शाखा प्रमुख / प्रभारी
..... (जमा करने वाले कार्यालय का नाम)
.....
.....

यहाँ
नवीनतम फोटो
चिपकाएं
(यदि संयुक्त खाता है, तो जमाकर्ता व पति/ पत्नी दोनों का संयुक्त फोटो)

***एजेंट का नाम (यदि खाता एजेंट के माध्यम से खोला गया है तो).....**
एजेंसी कोड संख्या ..... दिनांक ..... वैधता ..... तक

पैन संख्या (आवेदक).....

महोदय,

1. मैं, ..., श्री ..... का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी, स्थायी निवास ....आयु ..... वर्ष, एतद्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (जिसे इसके बाद उपरोक्त योजना कहा जाएगा),के तहत मेरे और मेरे पति/मेरी पत्नी ..... (पति/पत्नी की आयु के साथ नाम और पता)* का संयुक्त रूप से खाता खोलने के लिए आवेदन कर रहा हूँ / रही हूँ और इसके साथ रु. ..... (रु. .....) नकदी / चेक / मांग ड्राफ्ट (जिसके विवरण संलग्न जमा पर्ची में फार्म-डी में भरे गए हैं) खाते में जमा कर रहे हैं / कर रहा/रही हूँ.

2. **मैं / हम* इसके द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि –**
   i. मैंने/हमने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम 2004, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा इस योजना के तहत खातों का संचालन किया जाता है को स्पष्ट रूप से समझ लिया है.
   ii. मैं / हम उक्त नियमों से पूर्णत: आबद्ध रहूंगा/रहेंगे.
   iii. इस योजना के अंतर्गत मेरे / हमारे* द्वारा पहले खोले गए खातों की सूचना निम्नानुसार है –

क्रम संख्या	जमाकर्ता (ओं) का नाम और खाते का प्रकार (वैयक्तिक / संयुक्त)	जमा कार्यालय का नाम और पता	खाता खोलने की तारीख सहित खाता संख्या	जमा की गयी राशि
1.				
2.				
3.				

   (iv) मैं / हम*, नियम 4 में विनिर्दिष्ट तथा समय - समय पर यथा संशोधित, मेरे / हमारे द्वारा खोले गए सभी खातों में कुल जमा राशियों के संबंध में, जामा की उच्चतम सीमा का अनुपालन करूंगा/करेंगे. यदि किसी समय खातों में अधिक जमाराशि पाई जाती हैं तो नियम -7- के उप नियम (8) के अंतर्गत अधिक प्रदत्त ब्याज की वसूली करने के बाद यह अतिरिक्त राशि मुझे/हमें वापस कर दी जाएगी.

3. मैं निम्नलिखित व्यक्ति / व्यक्तियों को नामित कर रहा हूँ, मेरी मृत्यु होने पर नियम -6- में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर इन्हें मेरे खाते में जमा राशि देय होगी.

सारणी

क्रम संख्या	नामिती (यों) का नाम तथा जमाकर्ता के साथ उसका संबंध	स्थायी पता	नामिती यदि अवयस्क है, तो उसकी जन्म तारीख / अन्य मामले में आयु	देय राशि में नामिती का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामिती (यों) का फोटो	नामिती के हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान
(6)	(7)

3(ए). (अ) चूंकि क्रमांक (कों) में उल्लिखित नामिती अवयस्क हैं, अतः मैं श्री/श्रीमती/कु. _____ [प्रत्येक अवयस्क नामिती के संबंध में व्यक्ति (यों) के स्थायी पते के साथ नाम] को नामिती की आवश्यकता के दौरान मेरी मृत्यु होने पर उपरोक्त खाते के अंतर्गत देय राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं.

जमाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

साक्षी (हस्ताक्षर, नाम और पता) :-

1. **.....**
2. **.....** **दिनांक .....** **स्थान पर .....**

मेरे / हमारे* नमूना हस्ताक्षर (अंगूठे का चिन्ह) निम्नानुसार है –

1. **प्रथम जमाकर्ता :-**

2. *** संयुक्त जमाकर्ता :-**

 # साक्षी ..... **# साक्षी .....** **# साक्षी .....**

(शाखा प्रमुख/ प्रभारी के प्रतिहस्ताक्षर) (शाखा प्रमुख/ प्रभारी के प्रतिहस्ताक्षर) (शाखा प्रमुख/ प्रभारी के प्रतिहस्ताक्षर)

दिनांक ..... एवं कार्यालय की मुहर दिनांक..... एवं कार्यालय की मुहर दिनांक..... एवं कार्यालय की मुहर

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे / हमारे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है और यदि किसी मामले में, किसी भी समय कोई जानकारी और / या घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मुझे / हमें जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा तथा जमा कार्यालय द्वारा खाते को बंद करके जमा राशियों पर यदि कोई अधिक ब्याज का भुगतान पहले ही किया गया होगा तो उसकी वसूली के बाद जमाराशि वापिस की जाएगी.

भवदीय

(आवेदक का हस्ताक्षर)

दिनांक.....

स्थान ..... **(वर्तमान डाक पता)**

<u>अनुलग्नक :</u>-

1. आयु प्रमाण
2. यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है तो पैन आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म की पावती की प्रति
3. जमाराशि के साथ विधिवत भरी हुई जमा पर्ची (पत्र - डी).
4. नियम -2- के खंड 'डी' के उप – खंड (ii) में विनिर्दिष्ट नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र.

***: जो लागू नहीं है उसे काट दें.**

** : (1) जिन आवेदक का आयकर निर्धारण नहीं होता है, वह स्व-घोषणा कर सकता है कि उसके सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय (इस आवेदन के माध्यम से खोले जाने वाले खाते से प्राप्त ब्याज आय को मिलाकर) छूट प्राप्त सीमा से अधिक नहीं है और आवेदक को आयकर अधिनियम – 1961 समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत पैन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत नहीं है.

(2) अन्य सभी आवेदकों को पैन संख्या अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी और यदि उनको आयकर अधिकारियों द्वारा अभी तक पैन आवंटित नहीं किया गया है तो पैन आबंटन के आवेदन पत्र की सत्यापित फोटोप्रति इस आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

अंगूठे की निशान के मामले में –

<u>नोट:-</u> (1.) निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित प्रति आयु प्रमाण के रूप में संलग्न की जा सकती है :- म्युनिसिपल प्राधिकारी/ ग्राम पंचायत/ जन्म और मृत्यु जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड,आवेदक के अंतिम स्कूल या अन्य किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से जारी जन्म तारीख प्रमाणपत्र या स्थानीय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाईसेंस।

(2.) संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी सत्यापन हेतु साथ में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसे तुरंत वापस कर दिया जाएगा.

<u>केवल जमा कार्यालय के उपयोग हेतु</u>

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के अंतर्गत दि..... को रु. ..... (रु. .....
के साथ खाता खोला गया.
.....) खोला गया.
खाता संख्या ..... लेजर फोलियो संख्या .....
एजेंट का नाम, एजेंसी का कोड नंबर, दिनांक और वैधता की लेजर फोलियो एवं पासबुक में प्रविष्ट कर दी गयी है। (यदि खाता एजेंट के माध्यम से खोला गया है)
पासबुक क्र. ..... जारी की गयी.
दिनांक .....

जमा कार्यालय के प्रभारी के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम के साथ की मोहर)